

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

—: आदेश :—

श्री सुधीर कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं०-01, मेदिनीनगर को योजना-सह-वित्त विभागीय परामर्शानुसार एवं दिनांक-23.04.18 को आहूत स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री मिश्रा द्वारा दिनांक-06.04.2008 को आयोजित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण की परीक्षा में उत्तीर्णता के कारण विभागीय आदेश सं०-766 दिनांक-28.01.14 द्वारा प्रदत्त प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि दिनांक-11.05.2000 को संशोधित करते हुए दिनांक-07.04.2008 किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हें प्रदान किया गया हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली कर ली जाएगी।

3. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 1991 राँची, दिनांक :- 12/02/18
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं०-01, मेदिनीनगर/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Anurag) 12/2/18
सरकार के अवर सचिव।